



कार्यालय आदेश

समाप्त सं. १०११/१९८६/सी-टाइप/टाइप-॥/३०-सामान्य/या ३० दिनांक १५/०८/८६

शाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड की निम्नलिखित कर्मचारी को शाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड कार्यालय सेंटर ३६-ए, चण्डीगढ़ में टाईप-॥ का निम्नलिखित आवास नियुक्ति के अभाव पर उसे भी महिला कर्मचारी होने के कारण नियमानुसार प्राथमिकता से रिक्त जारी की आवंटित किया जाये।
 कर्म नाम व पद कार्यालय आवास न कयन

1. गुमारी ज्योति निम्न श्रेणी लिपिक	मुख्य अभियन्ता/ पारिषदा प्रणाली, वीवीएमबी, चण्डीगढ़।	यदि तब ॥ ३६ए चण्डीगढ़।	द्वितीय टाईप- सेक्टर इन्होंने चण्डीगढ़, पंचकुला एवं मोहाली अपना निजी आवास बनाते/खरीदते अपने विभाग से कोई नॉन नहीं लिया।
---	---	------------------------------------	--

उक्त आवंटन शाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड की चण्डीगढ़ में स्थित कार्यालय की सभ्य सं. ३६ ए पर जारी आवंटन की शर्तों के अन्तर्गत किया जाता है। सम्बन्धित कर्मचारी को आवंटन का कटौत होने पर पहले उक्त सभ्य अधिकारी, सिविल अनुरक्षण उप सभ्य सं. ॥ भा.व्या.प्र.बोर्ड, चण्डीगढ़ को लिखित में देना होगा कि वह आवंटन की शर्तों का पालन करेगा।

यदि कर्मचारी अनुबंधित सभ्य (एम.टि.ए.) में आवंटन का कटौत नहीं होगा तो आवंटन का आवंटन स्वयं ही रद्द हो जायेगा।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जाता है।

(Signature)
विशेष स.व.

पृष्ठा संख्या: १/१५२/॥/सी-३३७/सी-टाइप/टाइप-॥/या-३०/८-सामान्य दिनांक: १५/०८/८६

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पेषित है।

1. मुख्य अभियन्ता/पारिषदा प्रणाली, वीवीएमबी, चण्डीगढ़।
2. अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता, सिविल अनुरक्षण सभ्य सं. भा.व्या.प्र.बोर्ड, चण्डीगढ़।
3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी भा.व्या.प्र.बोर्ड, चण्डीगढ़।
4. निदेशक/एचआरडी भा.व्या.प्र.बोर्ड, चण्डीगढ़। यह अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त पत्र को वीवीएमबी की वेबसाइट पर डाला जाए।
5. निदेशक/पी एण्ड सी, भा.व्या.प्र.बोर्ड, चण्डीगढ़।
6. ई.डी.पी. मैनेजर वॉल्यूम्टर सैल, वीवीएमबी चण्डीगढ़। यह अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त पत्र को वीवीएमबी की वेबसाइट पर डाला जाए।
7. उप सभ्य अधिकारी सिविल अनुरक्षण उप सभ्य सं. ॥ एवं ॥, भा.व्या.प्र.बोर्ड, चण्डीगढ़।
8. सम्बन्धित कर्मचारी।
9. सहायक सभ्य।

(Signature)
विशेष स.व.